

SMARTVALUE[®]

आचार संहिता



स्वतंत्र व्यापार सहयोगियों के लिए दिशानिर्देश

स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड (एसवीएल) (स्मार्टवैल्यू) डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी होने के नाते इस तरह के दिशानिर्देश प्रदान करता है (क्या करें और क्या न करें और उपनियमों का एक अहम हिस्सा बन जाता है)। ये दिशानिर्देश बाजार में एक आईबीए (स्वतंत्र व्यापार सहयोगी) / (प्रत्यक्ष विक्रेता) के कृत्यों, कार्यों को बाध्य करते हैं। इन दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए आईबीए सख्त दायित्व में है। अगर कुछ भी विरोधाभासी पाया जाता है तो आईबीए को तुरंत प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

क्या करें

1. आईबीए नैतिक रूप से और देश के कानूनों के अनुसार काम करेंगे;

2. आईबीए आचार संहिता और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के साथ एसवीपी बिक्री और विपणन योजना का पूरा विवरण प्रदान करेगा।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम 2021 शामिल है।

आईबीए संभावित ग्राहक को क्लिंग ऑफ पीरियड, रिफंड और रिटर्न पॉलिसी, उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम आदि सहित एसवीएल के उपनियम भी प्रदान करेगा।

आईबीए संबंधित अधिकारों और दायित्वों के साथ संभावित ग्राहक को सटीक और पूरी जानकारी प्रदान करेगा;

4. आईबीए अपना पहचान पत्र साथ रखेगा और पूर्व नियुक्ति/अनुमोदन के बिना ग्राहक के परिसर का दौरा नहीं करेगा;

बिक्री प्रतिनिधित्व की शुरुआत के समय, आईबीए प्रत्यक्ष बिक्री इकाई की पहचान, व्यवसाय के स्थान का पता, बेची गई वस्तुओं या सेवाओं की प्रकृति और संभावित ग्राहक/उपभोक्ता को याचना के उद्देश्य की स्पष्ट रूप से पहचान करेगा।

6. आईबीए संभावित ग्राहक/उपभोक्ता को सामग्री और सेवाओं, कीमतों, भुगतान की शर्तों, वापसी नीतियों, गारंटी की शर्तों, बिक्री के बाद सेवा, आदि के सटीक और पूर्ण स्पष्टीकरण और प्रदर्शन की पेशकश करेगा।

7. आईबीए प्रारंभिक बिक्री के समय या उससे पहले उपभोक्ता/संभावित ग्राहक को एक ऑर्डर फॉर्म प्रदान करेगा, जो प्रत्यक्ष बिक्री इकाई और प्रत्यक्ष विक्रेता की पहचान करेगा और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. नाम, पता, पंजीकरण संख्या या आईबीए आईडी।

2. प्रत्यक्ष विक्रेता का पहचान प्रमाण और संपर्क नंबर।

3. आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं का पूरा विवरण।
4. सामग्री की उत्पत्ति का स्रोत देश का नाम।
5. आदेश की तारीख।
6. उपभोक्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि।
7. नमूने के निरीक्षण और सामग्री की डिलीवरी का समय और स्थान।
8. ऑर्डर को रद्द करने या उत्पाद को बिक्री योग्य स्थिति में वापस करने और भुगतान की गई राशि पर पूर्ण वापसी प्राप्त करने के उपभोक्ता के अधिकार।
9. डायरेक्ट सेलिंग इकाई के शिकायत निवारण तंत्र के बारे में पूर्ण विवरण।

8. प्रत्येक स्वतंत्र व्यवसाय सहयोगी यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) प्रस्ताव की शर्तें स्पष्ट हैं, ताकि उपभोक्ता और संभावित ग्राहक को प्रस्ताव की सटीक प्रकृति और किसी भी आदेश को रखने में शामिल प्रतिबद्धता को जानने में सक्षम बनाया जा सके।

(ख) प्रत्यक्ष बिक्री में उपयोग की जाने वाली प्रस्तुतियों और अन्य अभ्यावेदन में कोई उत्पाद विवरण, दावा, चित्रण या अन्य तत्व नहीं होना चाहिए जिससे उपभोक्ता को सीधे या निहितार्थ से गुमराह करने की संभावना हो।

(ग) पेशकश की गई वस्तुओं या सेवाओं का स्पष्टीकरण और प्रदर्शन सटीक और पूर्ण है, विशेष रूप से कीमत के संबंध में और, यदि लागू हो, तो क्रेडिट शर्तों, भुगतान की शर्तों, क्लिंग-ऑफ अवधि या वापसी का अधिकार, गारंटी की शर्तें, बिक्री के बाद सेवा और वितरण के संबंध में भी।

(घ) सत्यापन योग्य तथ्यों से संबंधित विवरण, दावे, दृष्टांत या अन्य तत्व पुष्टि करने में सक्षम योग्य है।

(ङ) स्मार्टवैल्यू की बिक्री और विपणन योजना को बाजार अनुसंधान के रूप में उपभोक्ता/संभावित ग्राहक के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है;

(च) प्रचार साहित्य, विज्ञापन या मेल में स्मार्टवैल्यू का नाम और पता या टेलीफोन नंबर होता है, और इसमें आईबीए का मोबाइल नंबर शामिल होता है।

(छ) आईबीए उपभोक्ता/ संभावित ग्राहक को गारंटी, वारंटी, ऑफ़र, कानून द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों के अलावा अन्य अधिकार, या अन्य समान अभिव्यक्ति के बारे में कोई झूठी प्रतिबद्धता नहीं देगा।

(ज) किसी गारंटी या वारंटी की शर्तें, जिसमें गारंटर का नाम और पता शामिल है, उपभोक्ता/संभावित ग्राहक को आसानी से उपलब्ध होगी। उपभोक्ता अधिकारों या उपचारों की सीमाएं, जहां भी कानून द्वारा अनुमत हों, स्पष्ट और विशिष्ट होनी चाहिए।
(झ) उपभोक्ता/ संभावित ग्राहक के लिए खुली उपचारात्मक कार्यवाही स्पष्ट रूप से ऑर्डर फॉर्म या सामग्री या सेवा के साथ प्रदान किए गए अन्य साहित्य में निर्धारित की जाएगी।
(ञ) प्रस्ताव की प्रस्तुति में कोई प्रशंसापत्र, समर्थन या सहायक दस्तावेज शामिल या संदर्भित नहीं है जब तक कि यह वास्तविक, सत्यापन योग्य और प्रासंगिक न हो।
(ट) जब तक कि प्रस्ताव में अन्यथा निर्धारित नहीं किया जाता है, खरीद के समय उपभोक्ता/संभावित ग्राहक को प्रस्तावित वितरण तिथि के भीतर आपूर्तियों को पूरा किया जाएगा। उपभोक्ता को किसी भी अनुचित देरी के बारे में सूचित किया जाएगा जैसे ही यह स्पष्ट हो जाता है या आईबीए के ज्ञान में आता है।
(ठ) खंड (ढ) के तहत देरी के मामलों में, उपभोक्ता/ संभावित ग्राहक द्वारा आपूर्ति को रद्द करने के किसी भी अनुरोध को स्वीकार किया जाएगा, भले ही उपभोक्ता को देरी के बारे में सूचित किया गया हो। जमा राशि , यदि कोई हो, खरीद के समय उपभोक्ता को प्रस्तावित रद्दीकरण शर्तों के अनुसार वापस किया जाएगा। यदि सुपुर्दगी को रोकना संभव नहीं है, तो उपभोक्ता को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या डायरेक्ट सेलर द्वारा तय की गई कीमत पर उत्पाद वापस करने के अधिकार के बारे में सूचित किया जाएगा। खरीद के समय उपभोक्ता को प्रस्तावित प्रक्रिया के अनुसार सुपुर्दगी वापस कर दी जाएगी।
(ड) उस इकाई द्वारा दी जाने वाली वापसी का अधिकार लिखित रूप में होगा।
(ढ) प्रस्ताव के लिए भुगतान चाहे तत्काल भुगतान या किस्त के आधार पर हो , कीमत और भुगतान की शर्तें एक साथ प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से बताई जाएंगी। किसी भी अतिरिक्त शुल्क की प्रकृति जैसे डाक, हैंडलिंग और कर और, जब भी संभव हो, ऐसे शुल्कों की राशि स्पष्ट रूप से बताई जाएगी।
आईबीए करों के भुगतान और उसके तहत कटौतियों सहित सभी प्रासंगिक कानूनों की आवश्यकताओं का पालन करेगा।
क्या न करें
1. आईबीए किसी भी प्रतिभागी को किसी भी प्रवेश/पंजीकरण शुल्क, बिक्री प्रदर्शन उपकरण और सामग्री की लागत या भागीदारी से संबंधित अन्य शुल्क का भुगतान करने के लिए गुमराह नहीं करेगा।

2. आईबीए संभावित या मौजूदा प्रत्यक्ष विक्रेताओं/आईबीए के साथ बातचीत में भ्रामक, भ्रामक या अनुचित भर्ती प्रथाओं, अनुचित व्यापार प्रथाओं का उपयोग नहीं करेगा, जिसमें वास्तविक या संभावित बिक्री या कमाई की गलत प्रस्तुति शामिल है।

एक प्रत्यक्ष विक्रेता निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा-

- (क) पहचान पत्र और पूर्व नियुक्ति या अनुमोदन के बिना किसी उपभोक्ता के परिसर का दौरा करें;

(ख) एक संभावित ग्राहक को कोई साहित्य प्रदान करें, जिसे एसवीएल द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है;

(ग) किसी साहित्य या बिक्री प्रदर्शन उपकरण को खरीदने की संभावित ग्राहक की आवश्यकता है;

(घ) बिक्री के अनुसरण में, कोई भी दावा करें जो प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा अधिकृत दावों के अनुरूप नहीं है;

3. आईबीए किसी संभावित प्रत्यक्ष विक्रेता को कोई तथ्यात्मक प्रतिनिधित्व नहीं करेगा जिसे सत्यापित नहीं किया जा सकता है या कोई वादा नहीं करेगा जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है।

4. आईबीए किसी भी संभावित प्रत्यक्ष विक्रेता को झूठे या भ्रामक तरीके से प्रत्यक्ष बिक्री के किसी भी लाभ को प्रस्तुत नहीं करेगा।

5. आईबीए कोई प्रतिनिधित्व नहीं करेगा (बिक्री प्रोत्साहन प्रणाली और आईबीए अनुबंध सहित अपने प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय से संबंधित या स्वयं द्वारा बेची जा रही वस्तुओं या सेवाओं के लिए) जो झूठा या भ्रामक है।

6. आईबीए ऐसे किसी भी आचरण में शामिल नहीं होगा जो भ्रामक है या किसी भौतिक विवरण के संबंध में गुमराह करने की संभावना है।

भौतिक विवरण बिक्री प्रोत्साहन प्रणाली सहित इसके प्रत्यक्ष व्यवसाय के संबंध में हो सकता है। या भौतिक विवरण आईबीए द्वारा बेची जा रही वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में हो सकता है।

7. आईबीए अपने प्रत्यक्ष बिक्री अभ्यास (पारिश्रमिक प्रणाली और आईबीए अनुबंध और अन्य सहित) को बढ़ावा देने में धोखाधड़ी, जबरदस्ती, उत्पीड़न, या अचेतन या गैरकानूनी साधनों का उपयोग नहीं करेगा।

8. आईबीए प्रत्यक्ष विक्रेताओं के रूप में परिचय या भर्ती के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई लाभ प्रदान नहीं करेगा।

9. आईबीए प्रत्यक्ष विक्रेताओं को मासिक सदस्यता या नवीनीकरण शुल्क के लिए कोई पैसा देने

के लिए नहीं कहेगा।
10. आईबीए निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा:
10.1 भ्रामक, कपटपूर्ण और/या अनुचित व्यापार व्यवहारों का उपयोग करना;
10.2 भ्रामक, झूठी और/या अनुचित भर्ती पद्धतियों का उपयोग करना, जिसमें किसी भी संभावित प्रत्यक्ष विक्रेता को आय और प्रत्यक्ष बिक्री के लाभों का गलत तरीके से प्रस्तुत करना शामिल है।
10.3. एक संभावित प्रत्यक्ष विक्रेता को कोई तथ्यात्मक प्रतिनिधित्व करना जिसे सत्यापित नहीं किया जा सकता है या ऐसा कोई वादा करना जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है।
10.4. प्रत्यक्ष बिक्री के किसी भी लाभ को किसी भी संभावित प्रत्यक्ष विक्रेता को भ्रामक तरीके से प्रस्तुत करना।
10.5. पारिश्रमिक प्रणाली और संविदा सहित प्रत्यक्ष बिक्री संचालन से संबंधित किसी भी प्रतिनिधित्व में जानबूझकर बनाना, छोड़ना, संलग्न करना, जो झूठा और/या भ्रामक है। ऐसे प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा बेचे जा रहे सामग्री और/या सेवाओं से संबंधित किसी भी प्रतिनिधित्व में जानबूझकर बनाना, छोड़ना, शामिल होना जो झूठा और/या भ्रामक है।
10.6 प्रत्यक्ष विक्रेताओं (जिन्हें उल्लिखित प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा भर्ती किया गया है) को अनुचित रूप से बड़ी मात्रा में सामान और/या सेवाएं खरीदने के लिए कहना या प्रोत्साहित करना।
10.7 प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के भीतर और बाहर किसी संभावित और/या मौजूदा प्रत्यक्ष विक्रेताओं को कोई साहित्य और/या प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करना (प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा जारी संपार्श्विक तक सीमित नहीं है; और जिसे प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है) ।
11. आईबीए निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा:
क) कपटपूर्ण गतिविधियों या बिक्री में लिप्त होना। आईबीए यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगा कि प्रतिभागी झूठे या भ्रामक अभ्यावेदन या किसी अन्य प्रकार की धोखाधड़ी, जबरदस्ती, उत्पीड़न, या अचेतन या गैरकानूनी साधनों में लिप्त न हों।
ख) उपभोक्ताओं को उत्पादों या सेवाओं की गलत बिक्री में लिप्त होना।
ग) अपने प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, या अपने सामान या सेवाओं की बिक्री के लिए किसी भी कपटपूर्ण, जबरदस्ती, अचेतन या गैरकानूनी साधनों का उपयोग करना ।
घ) खराब सामग्री या खराब सेवाओं को वापस लेने से इनकार करना। प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान किए गए प्रतिफल को वापस करने से इनकार करना।
ड) कोई प्रवेश शुल्क या सदस्यता शुल्क लेना।
12. एक प्रत्यक्ष विक्रेता उपभोक्ताओं को इस प्रतिनिधित्व के आधार पर खरीदारी करने के लिए

प्रेरित नहीं करेगा कि वे संभावित ग्राहकों को प्रत्यक्ष विक्रेताओं को संदर्भित करके कीमत वसूल कर सकते हैं।
आचार संहिता
स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड (एसवीएल) कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित एक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय एम-17, द्वितीय तल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली-110024 में है। इसमें उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है जो स्वास्थ्य और कल्याण, जीवन शैली, व्यक्तिगत देखभाल, सौंदर्य देखभाल और गृह देखभाल, जीवन शैली, कृषि, खाद्य और पेय पदार्थ और शैक्षिक पुस्तकें और डीवीडी आदि के क्षेत्र में उपयोगी हैं।
उद्देश्य
I. एसवीएल की आचार संहिता का उद्देश्य सभी आईबीए के बीच सहयोग और अनुशासन की भावना को बढ़ावा देना होगा।
II. एसवीएल के सभी आईबीए को संगठित करना और एकजुट करना और एसवीएल और संभावित आईबीए के साथ उनके संबंधों को विनियमित करना।
III. सभी आईबीए द्वारा निष्पक्ष व्यापार अभ्यास और व्यावसायिकता सुनिश्चित करना।
IV. ग्राहकों और सभी आईबीए की शिकायतों को दूर करना ।
V. गलत बिक्री, झूठे वादे/फर्जी प्रतिबद्धताओं, झूठे आश्वासनों और गैरकानूनी गतिविधियों को रोकना।
VI. व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान व्यावसायिकता, शालीनता, गरिमा और अनुशासन बनाए रखना।
VII. प्रभावी और उचित संचार प्रदान करना।
VIII. क्या करें और क्या न करें, इनके बारे में जागरूकता पैदा करना।
स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड (एसवीएल) आचार संहिता नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का एक समूह है जिसका एसवीएल के सभी स्वतंत्र व्यापार सहयोगी (आईबीए) पालन करेंगे। नियम और विनियम (आचार संहिता में विस्तृत दिशानिर्देशों के साथ) एसवीएल के सभी आईबीए पर बाध्य होंगे। यह आचार संहिता निम्नलिखित प्रदान करती है: i) शिकायत/शिकायत निवारण तंत्र, ii) एसवीएल उत्पादों की बिक्री और एसवीएल के व्यवसाय को बढ़ावा देने के दौरान सभी आईबीए द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं iii) आईबीए के लिए क्या करें और क्या न करें और निलंबन सहित अनुशासनात्मक कार्यवाही के

बारे में, जिसे आईबीए-सदस्यता की बर्खास्तगी के लिए (सूचना के साथ या बिना सूचना के) बढ़ाया जा सकता है।

एसवीएल के इस आचार संहिता या उपनियमों को दो भागों में बांटा गया है।

पहला भाग व्यावसायिक शब्दावली और अन्य व्यावसायिक विवरणों की परिभाषा की घोषणा करता है।

दूसरा भाग बाध्यकारी सिद्धांतों को स्थापित करता है जो बाजार स्थान पर एसवीएल की नीति के अनुसार आईबीए के व्यवहार/नैतिकता/कार्यों आदि को नियंत्रित या बाध्य करता है और किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधीन होगा।

भाग-ए (प्रथम-भाग)

1. परिभाषा- "स्मार्टवैल्यू" "स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड" कंपनी का ब्रांड नाम है।

1.1. "कंपनी" शब्द 'स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड' (एसवीएल) को दर्शाता है।

1.2. एसवीएल बिजनेस का अर्थ है एसवीएल उत्पादों के साथ एक स्वतंत्र व्यापार सहयोगी (आईबीए) के रूप में व्यवसाय करना।

1.3. एसवीएल प्रोडक्ट्स का मतलब है हेल्थ एंड वेलनेस, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर, ब्यूटी के सभी उत्पाद देखभाल और गृह देखभाल, जीवन शैली, कृषि, खाद्य और पेय पदार्थ और शैक्षिक पुस्तकें और डीवीडी।

इनमें एसवीएल द्वारा आईबीए को उपलब्ध कराए गए साहित्य और अन्य व्यावसायिक सहायता सामग्री भी शामिल है।

1.4. एसवीएल सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान का मतलब उत्पादों, दिशानिर्देशों, आवश्यकताओं, प्रणालियों, प्रक्रियाओं और नीतियों पर स्मार्ट माइल्स प्रोग्राम है।

ये नीतियां एसवीएल उत्पादों और एसवीएल व्यवसाय की प्रस्तुति के संबंध में हैं।

इन नीतियों में समय-समय पर संशोधन किया जाता है।

1.5. (क) इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट (आईबीए) (संक्षेप में "एसोसिएट" या "बिजनेस एसोसिएट" के रूप में जाना जाता है) एक एसवीएल अधिकृत व्यक्ति या संस्था है जो एसवीएल उत्पादों को खरीदने और/या एसवीएल के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए इच्छुक है।

एक आईबीए का चयन कानून के अनुसार एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या एक वैध कानूनी इकाई के रूप में आवेदन जमा करने पर किया जाता है।

वह व्यक्ति या संस्था जो निःशुल्क आईबीए आवेदन पत्र भरकर और हस्ताक्षरित जमा करके पंजीकृत किया गया था, नियम और शर्तों के अधीन एक स्वतंत्र व्यापार सहयोगी बनने के लिए पात्र है।

(ख) "संभावित" या "संभावित आईबीए" का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे एसवीएल में शामिल होने

के लिए प्रत्यक्ष विक्रेता/आईबीए द्वारा एक प्रस्ताव दिया जाता है।
1.6. आईबीए स्वतंत्र व्यावसायिक व्यक्ति/इकाई हैं जो अपनी जिम्मेदारी पर काम कर रहे हैं और एसवीएल से कोई रोजगार नहीं है, एसवीएल से कोई गारंटीकृत वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं है, एसवीएल या इसकी किसी भी संबद्ध कंपनी के साथ कोई अधीनस्थ संबंध नहीं है।
1.7. उपयोगकर्ता/उपभोक्ता-ग्राहक वे व्यक्ति हैं, जो एसवीएल उत्पादों को विशेष रूप से अपने स्वयं के उपयोग के उद्देश्य से खरीदते हैं और उनकी बिक्री और विपणन योजना में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे बिक्री प्रोत्साहन या कोई अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए कोई स्मार्ट माइल्स अर्जित करने के पात्र नहीं हैं।
1.8. निष्क्रिय और सक्रिय। एक आईबीए जो लगातार 45 दिनों तक एसवीएल बिजनेस प्रमोशन गतिविधियों में भाग नहीं ले रहा है और/या एक अंग्रेजी कैलेंडर माह में कोई बिक्री गतिविधि नहीं की है, उसे निष्क्रिय आईबीए माना जाएगा। जो लोग निष्क्रिय आईबीए श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें सक्रिय आईबीए माना जाएगा।
1.9. व्यावसायिक वर्ष एक वित्तीय वर्ष है जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है।
1.10. रेफरर/प्रायोजक एक एसवीएल आईबीए है, जो एसवीएल बिजनेस के लिए एक नया आईबीए पेश करता है या संदर्भित करता है।
1.11 क्रॉस रेफरिंग/प्रायोजन का अर्थ है कि एक आईबीए किसी मौजूदा या संभावित ग्राहक या आईबीए जो किसी अन्य आईबीए समूह से संबंधित है, उसे अपनी टीम में प्रायोजित/संदर्भित कर रहा है।
1.12. क्रॉस-लाइन आईबीए-सदस्यता का अर्थ है एक मौजूदा आईबीए फिर से किसी अन्य आईबीए समूह में आईबीए बनना।
1.13. बाजार का अर्थ है भारत का क्षेत्र और एसवीएल के निर्णय के अनुसार इसका विस्तार होगा।
1.14. आईबीए के लिए आचार संहिता दिशानिर्देश व्यावसायिक गतिविधियों, शिकायत और शिकायत निवारण तंत्र, आईबीए के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के उद्देश्य से हैं। आचार संहिता दिशानिर्देश अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के बारे में भी हैं जो एसवीएल द्वारा समय-समय पर (उस समय लागू कानून के अनुसार) उचित समझे जाने पर परिवर्तन/संशोधन के अधीन हैं और उपभोक्ताओं और आईबीए के हितों की रक्षा के लिए हैं।
2. पात्रता/योग्यताएं- एसवीएल का एक स्वतंत्र व्यापार सहयोगी (आईबीए) बनने के लिए, कोई सदस्यता शुल्क या सदस्यता शुल्क नहीं लिया जाता है, आवेदक:

2.1. भारत का नागरिक होना चाहिए। 2.2. भारत में शासित वैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक वयस्क होना चाहिए। 2.3. विकृत दिमाग, पागल या मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं होना चाहिए
2.4. एसवीएल के साथ अपने जुड़ाव से पहले पिछले पांच वर्षों के दौरान दोषी या दिवालिया नहीं होना चाहिए।
2.5. समय पर लागू कानून के अनुसार देश में व्यापार करने के लिए कानूनी रूप से हकदार होंगे।
3. आईबीए-सदस्यता का पंजीकरण
3.1 प्रत्येक संभावित आईबीए विवरण प्रस्तुत करके और उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों को स्वीकार करके ऑनलाइन पंजीकरण प्रपत्र भरेगा और जमा करेगा। पंजीकरण प्रपत्र निःशुल्क है
3.2. आवेदन- प्रत्येक संभावित आईबीए अपने विधिवत स्व-सत्यापित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर खुद को पंजीकृत करेगा। प्रत्येक संभावित आईबीए आवेदन पत्र में दिए गए नियमों और शर्तों, आचार संहिता और ऑनलाइन अनुबंध को स्वीकार करेगा।
3.3. आवेदन स्वीकार या अस्वीकार करना- आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना एसवीएल का विवेकाधिकार है। अगर आवेदन पूरी तरह से नहीं भरा है या आवेदक द्वारा प्रस्तुत विवरण प्रकृति में सत्य नहीं हैं या व्यावसायिक हित को ध्यान में रखते हुए, एसवीएल आवेदन स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है; एसवीएल बिना कोई कारण बताए आवेदन को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है।
3.4. प्राधिकरण की तिथि - एक आईबीए को आईबीए आईडी (अद्वितीय स्मार्ट आईडी) प्राप्त होने पर एक आवेदन को स्वीकार माना जाएगा। यह आईडी सक्रिय हो जाएगी और आईबीए के स्मार्ट ऑफिस पैनल में प्रदर्शित होने लगेगी।
4. नवीनीकरण- आईबीए-सदस्यता मुफ्त है और आईबीए के जीवनकाल के लिए है लेकिन निरंतरता के लिए तीन साल की अवधि के भीतर कम से कम एक लेनदेन (किसी भी राशि का) की आवश्यकता होती है। यदि लगातार तीन वर्षों तक कोई लेन-देन नहीं पाया जाता है, तो आईबीएशिप स्वतः समाप्त हो जाएगी।
5. आईबीए-सदस्यता का हस्तांतरण- एक बार निलंबित या समाप्त हो जाने के बाद कोई भी आईबीए-सदस्यता किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। उत्तराधिकार के मामले को छोड़कर आईबीए-सदस्यता गैर-हस्तांतरणीय है।

बिक्री प्रोत्साहन का भुगतान उत्तराधिकारी को तभी किया जाएगा जब उसने बिक्री और व्यवसाय विकास गतिविधियों में भाग लिया हो। अन्यथा उत्तराधिकारी बिक्री प्रोत्साहन का दावा करने का हकदार नहीं है।

6. एक स्वतंत्र व्यापार सहयोगी के रूप में कॉर्पोरेट- कोई भी निगम (चाहे वह स्वत्वधारी हो या साझेदारी हो या कानून के अनुसार पंजीकृत लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो) वैधानिक प्रावधानों के तहत आवश्यक मानदंडों के अधीन एसवीएल का आईबीए बन सकता है।

साझेदारी फर्म के मामले में, फर्म के संकल्प के साथ साझेदारी विलेख की एक प्रति आवश्यक है। कंपनी के मामले में, आईबीए बनने के लिए, इसकी आवश्यकता है।

संबंधित दस्तावेज, निदेशक मंडल के एक संकल्प द्वारा समर्थित उक्त कंपनी के प्रबंध निदेशक / निदेशक द्वारा विधिवत सत्यापित। फर्म या कंपनी की ओर से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का परिवर्तन उचित प्रतिनिधित्व पर किया जा सकता है। किसी तीसरे पक्ष के स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. दुर्घटना मृत्यु मुआवजा नीति:

7.1. वर्तमान में एसवीएल दुर्घटना मृत्यु क्षतिपूर्ति पॉलिसी निःशुल्क प्रदान कर रहा है।

मुआवजे की राशि केवल एक वर्ष के लिए

रु. एक लाख हैं (नवीकरण के अधीन)। यह राशि अपने स्वतंत्र व्यापार सहयोगियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने एक महीने के भीतर निर्दिष्ट मूल्य के उत्पाद खरीदे हैं।

7.2. उक्त पॉलिसी/जोखिम कवर आईबीए द्वारा एसवीएल उत्पादों की खरीद के दिन से 4 से 8 सप्ताह के बाद या/और नवीनीकरण आवेदन जमा करने की तारीख से शुरू होगा, नियम और शर्तों के अधीन जैसा भी मामला हो।

7.3. नामांकित व्यक्ति को दिए गए विवरण के अनुसार बीमा दावा दिया जाएगा।

यदि नामांकित व्यक्ति का विवरण रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधान लागू होंगे।

8. एसवीएल डीलरशिप (स्मार्ट शॉपी और लि-मार्ट)

- IBA जिसने डीलरशिप प्राप्त की है, वह सहमत नियमों और शर्तों के अलावा डीलरशिप अनुबंध के नियमों और शर्तों का पालन करेगा।

ऐसा नहीं करने पर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। प्रत्येक डीलर को स्थानीय प्राधिकारियों से व्यवसाय करने के लिए उपयुक्त और आवश्यक अनुमतियां/अनुमति प्राप्त करनी होगी। प्रत्येक डीलर सभी कानूनी/सांविधिक अनुपालनों के लिए एसवीएल की क्षतिपूर्ति करेगा। डीलरशिप अनुबंध आईबीए-सदस्यता के साथ-साथ सह-अस्तित्व और समवर्ती है।

9. संभावित विक्रेता या ग्राहकों को आमंत्रित करने वाली एसवीएल बिक्री और विपणन योजना की प्रस्तुति-

एसवीएल के उत्पादों या/और बिक्री और विपणन योजना की प्रस्तुति सुनने के लिए एक संभावित

विक्रेता को आमंत्रित करते समय, एक एसवीएल आईबीए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित आमंत्रण विधियों का उपयोग नहीं करेगा और न ही अन्य आईबीए को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।
9.1. यह जताना कि यह रोजगार के अवसर से संबंधित है। 9.2. यह जताना कि निमंत्रण एक सामाजिक कार्यक्रम के लिए है। 9.3. आमंत्रण को 'बाजार सर्वेक्षण' के रूप में छिपाना। 9.4. आयोजन को 'कर संगोष्ठी' के रूप में प्रचारित करना। 9.5 एसवीएल नाम और विवरण का खुलासा नहीं करना। 9.6. यह जताना कि बिना प्रयास / तनाव के जल्दी से अमीर बनने का सबसे अच्छी योजना है। 9.7. आमंत्रित करने के लिए कोई अन्य भ्रामक जानकारी देना ।
10. संभावित विक्रेता के साथ पहला संपर्क: 10.1. संभावित विक्रेता के साथ पहले संपर्क में, एक आईबीए को चाहिए कि: 10.2 पूरे नाम और विवरण से अपना परिचय दें
10.3. आईबीए को एसवीएल के आईबीए के रूप में उपयुक्त तरीके से अपना परिचय देना चाहिए। आईबीए को उसके नाम, पते और संपर्क नंबर के साथ-साथ एसवीएल की विस्तृत जानकारी से संबंधित जानकारी प्रदान करनी चाहिए।
10.4 आईबीए को संभावित विक्रेता को एसवीएल व्यवसाय के बारे में एसवीएल आचार संहिता, ऑनलाइन अनुबंध और पंजीकरण फॉर्म के नियमों और शर्तों के अनुसार समझाना चाहिए।
10.5. आईबीए एसवीएल उत्पादों को बढ़ावा देने और एसवीएलएस बिक्री और विपणन योजना में एक संभावित विक्रेता की भागीदारी की मांग करने के लिए कोई गलत आय प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे।
10.6 आमंत्रित आईबीए को निम्नलिखित दिशानिर्देश का पालन करना चाहिए :
1. केवल एसवीएल अधिकृत साहित्य का उपयोग करना चाहिए।
2. आईबीए किसी भी व्यवसाय प्रचार सामग्री/साहित्य का उत्पादन, बिक्री और/या वितरण नहीं करेगा जो एसवीएल द्वारा अपने आईबीए को प्रकाशित और वितरित किए गए साहित्य या सामग्री से काफी ज्यादा मिलता-जुलता है। या जो समाज में एक सामान्य व्यक्ति को यह धारणा बना सके कि ऐसा साहित्य या सामग्री एसवीएल से संबंधित है या इसके प्रकाशन या वितरण की अनुमति एसवीएल द्वारा दी गई है।
3. यह नहीं कहेंगे कि एसवीएल व्यवसाय आईबीए-सदस्यता एक " जल्दी अमीर बनना" या पैसा कमाने का आसान अवसर है जिसमें कम या बिना किसी प्रयास या समय के सफलता प्राप्त किया जा सकता है।
4. बड़े पैमाने पर मेलिंग, टेलीमार्केटिंग, राष्ट्रीय विज्ञापन, कंप्यूटर संचार के माध्यम से एसवीएल

व्यापार योजना (या योजना में भागीदारी की मांग) प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।
योजना केवल संभावित आईबीए के साथ व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है।

जन संचार की अनुमति केवल एसवीएल से अनुमोदन के अधीन है।

11. बाध्यता की अनुमति नहीं है

11.1 कोई आईबीए यह प्रतिनिधित्व नहीं करेगा कि एसवीएल बिक्री और विपणन योजना के तहत उत्पाद और/या संबंधित सेवाओं को खरीदने के लिए उसके लिए कोई बाध्यता है या यह विश्वास दिलाएंगे कि उक्त खरीद से वे आसानी से कमाई प्राप्त करेंगे।

यदि एसवीएल को कोई उचित या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है कि दायित्वों या झूठे अभ्यावेदन के आधार पर कोई बिक्री की गई है, तो ऐसे आईबीए की आईबीए-सदस्यता बिना किसी सूचना के तुरंत समाप्त कर दी जाएगी।

11.2 कोई भी आईबीए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट या ऐप पर एसवीएल के नाम और शैली से किसी भी पेज, साहित्य, छवि, वीडियो, किसी भी प्रकृति का कुछ भी प्रसारित नहीं करेगा।

11.3 कोई भी आईबीए किसी भी ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एसवीएल के उत्पादों की बिक्री नहीं करेगा।

12. साइनबोर्ड- एसवीएल के एक आईबीए को अपने निजी कार्यालय परिसर में एसवीएल के साइनबोर्ड डिस्प्ले का उपयोग करने के लिए एसवीएल से लिखित स्वीकृति लेनी होती है, भले ही वह जनता को दिखाई दे या नहीं। अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, आईबीए को साइनबोर्ड, आकार और साइनबोर्ड के स्थान का विस्तृत विवरण भेजना होगा। यदि बताए गए मानकों को पूरा नहीं किया जाता है, तो एसवीएल के पास एसवीएल का नाम प्रदर्शित करने की अनुमति वापस लेने का अधिकार है।

-कोई सोशल मीडिया नहीं - एक आईबीए एसवीएल या उसके स्वतंत्र ठेकेदारों के नाम से सोशल मीडिया पर कोई पृष्ठ नहीं बनाएगा।

-पाठ्य सामग्री की प्रतिलिपि नहीं करेगा - एक आईबीए एसवीएल वेबसाइट(या इसके मुद्रित साहित्य सहित एसवीएल के संसाधनों) से एसवीएल की पाठ्य सामग्री की प्रतिलिपि नहीं करेगा।

- नकली वेबसाइट नहीं बनाएगा - एक आईबीए एसवीएल के नाम पर, खुद से या किसी तीसरे पक्ष के द्वारा कोई नकली वेबसाइट या वेबपेज विकसित नहीं करेगा।

13. वाहन पर साइन- एक आईबीए एसवीएल से पूर्व लिखित सहमति के साथ ही एसवीएल व्यापार नाम, ट्रेडमार्क, लोगोटाइप, डिजाइन या प्रतीक का उपयोग किसी भी वाहन पर कर सकता है।

केवल उन्हीं ऐसे स्टिकर्स की अनुमति है जिन्हें आधिकारिक तौर पर एसवीएल द्वारा लॉन्च किया गया है।
14. टेलीफोन- किसी भी आईबीए को एसवीएल के नाम पर अपने निजी टेलीफोन सूचीबद्ध करने की अनुमति नहीं है।
15. बैंकों के साथ खाते- किसी भी आईबीए को स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड या एसवीपीएसएल के नाम से बैंकों में कोई खाता खोलने की अनुमति नहीं है, या एसवीएल के नाम से चेक जारी करने या किसी ऐसे चिह्न का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, जो एसवीएल की भागीदारी को व्यक्त या इंगित करता है। . इसका उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
16. उत्पाद विनिमय और धनवापसी नीति:
16.1. यदि आईबीए या ग्राहक खरीदे गए उत्पादों को दोषपूर्ण या पूरी तरह से उनकी संतुष्टि के लिए नहीं पाते हैं, तो आईबीए/ग्राहक खरीद की तारीख से 180 दिनों के भीतर उत्पादों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। या आईबीए/ग्राहक उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम 2021 के अनुसार मूल चालान के साथ एसवीएल को बिक्री योग्य स्थिति में खरीदे गए उत्पादों को वापस करके खरीद/चालान की तारीख से 30 दिनों के भीतर भुगतान की गई उत्पाद लागत/राशि की वापसी का दावा कर सकता है। . खरीद/चालान की तारीख से 45 वें दिन तक 30 दिन पूरे होने के बाद, धनवापसी 10% हैंडलिंग शुल्क की कटौती के अधीन होगी। 45 दिनों के बाद किसी भी वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक आईबीए अपने ग्राहकों/संभावनाओं को उत्पाद विनिमय और धनवापसी नीति की वही सटीक जानकारी प्रदान करेगा।
16.2. रिफंड नीति का पालन करने में विफलता के ऐसे मामलों में वरिष्ठ/अप-लाइन आईबीए एसवीएल को क्षतिपूर्ति करेगा।
16.3. किसी भी ग्राहक/आईबीए द्वारा उत्पादों या इससे संबंधित किसी भी शिकायत के मामले में, संबंधित वरिष्ठ आईबीए शिकायत के बारे में एसवीएल को विस्तार से सूचित करेंगे।
16.4. यदि ग्राहक/आईबीए उत्पाद विनिमय के लिए या धनवापसी के लिए अनुरोध करता है तो वरिष्ठ आईबीए ग्राहक/आईबीए को धन की वापसी के लिए प्रस्ताव देगा, यदि लागू हो तो हैंडलिंग शुल्क की कटौती के अधीन या वैकल्पिक उपलब्ध उत्पादों के साथ विनिमय की पेशकश कर सकता है। यदि यह निर्दिष्ट समय में, नियम और शर्तों के अनुसार है।
भाग-बी (द्वितीय-भाग)
कोई भी जानकारी और/या तथ्य (या समान प्रकृति वाली कोई भी चीज़) जो आचरण के इन नियमों के उल्लंघन से संबंधित है (या तो पहले ही हो चुकी है या भविष्य में हो सकती है) और

जो एसवीएल द्वारा प्राप्त की गई है (या तो किसी आईबीए/कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत शिकायत के माध्यम से या किसी अन्य स्रोत के माध्यम से) , एसवीएल जांच का आदेश दे सकता है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, एसवीएल आचरण के इन नियमों के उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर नोटिस के साथ या नोटिस के बिना किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही (या तो आईबीए-सदस्यता से निलंबन या बर्खास्तगी) शुरू कर सकता है।

आईबीए-सदस्यता से निलंबन सभी गतिविधियों की तत्काल जब्ती की पुष्टि करता है (जैसे उत्पाद का ऑर्डर देना, उसकी बिक्री टीम की बैठक लेना, नए आईबीए को प्रायोजित करना, आईबीए की जानकारी में बदलाव या एसवीएल या किसी अन्य आईबीए द्वारा प्रशिक्षण और प्रचार गतिविधियों)

और एसवीएल के अधिकृत बिक्री आउटलेट का तत्काल निलंबन और प्रदर्शन प्रोत्साहन और बिक्री प्रोत्साहन सहित सभी प्रोत्साहनों का भी जब्त होना ।

कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही (सूचना के साथ या बिना आईबीए-सदस्यता से निलंबन या बर्खास्तगी) आचरण के इन नियमों के उल्लंघन की गंभीरता पर निर्भर करती है जो या तो पहले ही हो चुकी है या भविष्य की तारीख में हो सकती है।

नोटिस जारी करने के लिए नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 10 कार्य दिवसों के भीतर नोटिसी से जवाब की आवश्यकता होती है। जवाब के अभाव में, एसवीएल नीति के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर सकता है।

मुख्य रूप से नोटिस जारी करना नोटिस प्राप्त करने वाले को सुनवाई का उचित अवसर देने का एक उपकरण है, लेकिन ऐसा करने में विफल रहने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी जैसा कि उल्लेख किया गया है।

नोटिस के अनुसार आईबीए का स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर, तथ्यों (सत्यापित स्रोतों से ज्ञात और एसवीएल द्वारा की गई जांच से ज्ञात) के आधार पर उचित और अंतिम निर्णय लिया जाएगा, जिसमें आईबीए-सदस्यता रद्द करने का निर्णय लिया जा सकता है।

एसवीएल के पास अधिकार है कि इसी तरह की गलती के लिए, वह कोई भी निर्णय ले सकता है (निर्णय इस बात को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा कि आईबीए ने यह गलती किन परिस्थितियों में की है)।

या एसवीएल के पास किसी भी उल्लंघन को विशेष उल्लंघन के रूप में मूल्यांकन करने के लिए पूर्ण और बिना शर्त अधिकार और प्रतिरक्षा है और तदनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर सकता है।

एसवीएल की नीति के अनुसार यदि कोई नोटिस प्राप्त करने वाला निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना जवाब दाखिल/प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो एसवीएल को उसकी आईबीए-सदस्यता समाप्त करने का पूरा अधिकार है।

यदि एसवीएल इन आचार नियमों के अनुसरण में एक आईबीए-सदस्यता समाप्त कर देता है, तो

आईबीए का एसवीएल के खिलाफ या समाप्ति या अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में कोई दावा नहीं होगा।

1. व्यावसायिकता

1.1. एक आईबीए अच्छे विश्वास में कार्य करने के लिए बाध्य है और अपनी मार्केटिंग गतिविधियों में हमेशा ईमानदारी, विवेक और निष्पक्ष व्यवहार के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए बाध्य है।

1.2. एक आईबीए कभी भी किसी भी प्रकार के कदाचार, लापरवाही और अन्य गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो कि उसकी मार्केटिंग गतिविधियों के दौरान बड़े पैमाने पर समाज द्वारा स्वीकार्य नहीं है।

1.3. एसवीएल के उत्पादों का प्रचार करते समय आईबीए में हर समय व्यावसायिकता की गुणवत्ता होनी चाहिए।

1.4. एक आईबीए एक विनम्र और सौहार्दपूर्ण तरीके से व्यवसाय करेगा और दबाव बनाने वाले तरीकों या सम्मोहक तरीकों का प्रयोग नहीं करेगा।

1.5. एक आईबीए स्वयं को एसवीएल के एक स्वतंत्र व्यापार सहयोगी के रूप में पेश करेगा और प्रत्येक व्यवसाय प्रचार गतिविधि से पहले अपने विवरण जैसे नाम, पता, संपर्क नंबर को आमंत्रितों को सूचित करेगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र ले जाएगा।

1.6. एक आईबीए एसवीएल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एसवीएल द्वारा अनुमोदित साहित्य के अलावा अन्य साहित्य का उपयोग नहीं करेगा, अगर वह एसवीएल के उत्पादों को बढ़ावा देने और बेचने के लिए स्वयं निर्मित साहित्य का उपयोग करने का विकल्प चुनता है, तो उसे एसवीएल से पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी।

1.7. जब प्रदर्शन आयोजित किया जाता है, तो ग्राहक / संभावित विक्रेता को सहज महसूस करना चाहिए और / या असुविधाजनक महसूस नहीं करना चाहिए।

1.8. एक आईबीए किसी संभावित विक्रेता को यह आभास नहीं देगा कि एसवीएल उत्पादों की खरीद स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड या इसकी संबद्ध कंपनियों या अन्य जगहों पर रोजगार पाने का एक अवसर है।

1.9. एक आईबीए संभावित आईबीए को आचार संहिता, ऑनलाइन अनुबंध और पंजीकरण प्रपत्र के नियमों और शर्तों की व्याख्या करेगा और उन्हें एसवीएल के बिजनेस मॉडल की अवधारणा के बारे में समझाएगा।

1.10. एक आईबीए एसवीएल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एसवीएल द्वारा अनुमोदित साहित्य के अलावा अन्य साहित्य का उपयोग नहीं करेगा।

यदि वह एसवीएल के उत्पादों को बढ़ावा देने और बेचने के लिए स्वयं निर्मित साहित्य का उपयोग करना चाहता है, तो उसे एसवीएल से पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी।

1.11 एक आईबीए क्रॉस रेफरिंग/प्रायोजन या क्रॉस-लाइन आईबीए-सदस्यता गतिविधि में शामिल नहीं होगा
1.12. एक आईबीए को अपनी बिक्री टीम को नीचे उल्लिखित तरीके से प्रायोजित करने की अनुमति नहीं है:
1.12.1. कोई भी आईबीए किसी ऐसे व्यक्ति को आईबीए के रूप में प्रायोजित नहीं कर सकता जो पहले से ही एसवीएल के दूसरे समूह में आईबीए है।
1.12.2. एक आईबीए अपनी टीम में अन्य आईबीए के पति/पत्नी को प्रायोजित नहीं कर सकता है।
1.12.3. एक आईबीए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य आईबीए को पैसे देकर या अन्य लाभ या पुरस्कार दिखाकर अपने प्रायोजक को बदलने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। आईबीए की ऐसी अस्वस्थ गतिविधियों की प्राप्ति पर; उसकी आईबीए-सदस्यता निलंबित या समाप्त की जा सकती है।
2. एक आईबीए एक अतिरंजित आय आंकड़ा और उत्पाद के उपयोग के बारे में नहीं दिखाएगा और ग्राहक और संभावित विक्रेता को उत्पाद की कीमत, गुणवत्ता, मानकों, सामग्री, शैली या मॉडल के बारे में सही जानकारी प्रदान करेगा।
3. एक आईबीए धोखाधड़ी या प्रलोभन के तरीके या दबाव में सामग्रियों या संबंधित सेवाओं को नहीं बेचेगा। एक आईबीए उन उत्पादों या संबंधित सेवाओं को नहीं बेचेगा या बढ़ावा नहीं देगा जो एसवीएल से संबंधित नहीं हैं। एक आईबीए एसवीएल उत्पादों या संबंधित सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अतिरंजित आय प्रतिनिधित्व नहीं करेगा और संभावित ग्राहक को लुभाने के लिए प्रेरित नहीं करेगा।
4. एक आईबीए संभावित आईबीए को यह वादा करके सामान खरीदने के लिए प्रेरित नहीं करेगा कि वह अन्य संभावित विक्रेता को संदर्भित करके कीमत वसूल कर सकता है।
5. एक आईबीए एसवीएल पोषण संबंधी उत्पादों, भोजन/आहार की खुराक को केवल पोषण और केवल भोजन/आहार पूरक के रूप में बढ़ावा देगा।
6. एक आईबीए यह प्रतिनिधित्व नहीं करेगा कि एसवीएल पोषण संबंधी उत्पाद और भोजन/आहार पूरक दवाएं हैं, जो किसी भी प्रकार की बीमारी या बीमारी के निदान, रोकथाम, इलाज/उपचार के लिए बनाई गई हैं।
7. प्रत्येक उत्पाद पर अधिकतम खुदरा मूल्य मुद्रित होता है और कोई भी आईबीए उत्पाद को खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर नहीं बेच सकता है।
8. एसवीएल उत्पाद की पैकिंग और रीपैकिंग के लिए किसी भी आईबीए की अनुमति नहीं है और साथ ही उसे उत्पाद के स्तर या इसकी कीमत में कोई बदलाव करने की अनुमति नहीं है।
9. एक आईबीए न तो एसवीएल उत्पादों का निर्यात कर सकता है और न ही ऐसे व्यक्ति को दे

सकता है जो उत्पाद का निर्यात कर सकता है।
10. एक आईबीए संभावित विक्रेता को सूचित करेगा कि आय सीधे उत्पादों को बेचने के प्रयासों के अनुपात में है। एक संभावित विक्रेता एसवीएल व्यवसाय में अन्य संभावित विक्रेता को संदर्भित करने के लिए बिक्री प्रोत्साहन प्राप्त करने का हकदार नहीं है। उन्हें एसवीएल के उत्पादों की बिक्री पर ही बिक्री प्रोत्साहन मिलेगा।
11. एक आईबीए एसवीएल उत्पादों (उत्पादों की आंशिक या पूर्ण लागत) को खरीदने के लिए या एसवीएल के नाम पर किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी भी संभावित विक्रेता से नकद एकत्र नहीं करेगा। एसवीएल किसी आईबीए को, किसी आईबीए या संभावित विक्रेता से कोई नकद/डीडी एकत्र करने के लिए अधिकृत नहीं करता है। किसी भी समान गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी आईबीए को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जा सकता है। प्रत्येक आईबीए को एसवीएल के अधिकृत रिटेल आउटलेट से उत्पाद खरीदना चाहिए। उत्पाद खरीद के कारण किसी भी राशि को हस्तांतरित और जमा या अन्य आईबीए को सौंपे जाने के मामले में; एसवीएल को इस संबंध में इस तरह के गैर-अनुमेय लेनदेन में शामिल किसी को हुए किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई के लिए कभी भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
12. एसवीएल उत्पाद और उसके ब्रांड-नाम का उपयोग कभी भी, किसी के द्वारा, किसी भी प्रकार की धन उगाहने की गतिविधि के संयोजन में नहीं किया जा सकता है। फंड जुटाने में इस प्रतिनिधित्व के आधार पर एसवीएल उत्पादों की खरीद के लिए अनुरोध शामिल हैं कि इस तरह से उत्पन्न लाभ, आय या लाभ का एक हिस्सा किसी विशेष समूह, संगठन या कारण को लाभान्वित करेगा। एसवीएल द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम, गतिविधि या प्रचार कार्यक्रम का उपयोग किसी अन्य व्यक्तिगत प्रचार या व्यक्तिगत वित्तीय लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
13. एक आईबीए उन्हें एपीएलएल शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ावा नहीं देगा जो नामांकन के लिए पात्र नहीं हैं।
14. एसवीएल का कोई भी आईबीए अपने पहचान पत्र का उपयोग करके यह दावा नहीं कर सकता कि वह एसवीएल का कर्मचारी है। यह पहचान पत्र आईबीए को जारी किया गया है ताकि वह किसी भी शाखा में कारोबार कर सके।
15. एसवीएल द्वारा किसी आईबीए को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। कोई भी आईबीए किसी भी स्थान पर यह दावा नहीं कर सकता कि वह किसी भी क्षेत्र (शहर, कस्बे या गांव) में फ्रैंचाइज़ी अधिकार या एसवीएल की आईबीए-सदस्यता प्राप्त कर सकता है। एक आईबीए किसी भी क्षेत्र या हिस्से पर अपने विशेष अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है।
16. एक आईबीए कोई झूठा आश्वासन या वादे नहीं करेगा जैसे कि यह कहना कि यह आसान

पैसा है और/या त्वरित पैसा, गारंटीकृत मासिक आय या नौकरी आश्वासन आदि।
17. एक आईबीए एसवीएल के कर्मचारी के रूप में प्रचार नहीं करेगा। एक आईबीए यह व्यक्त या अर्थ नहीं करेगा कि एसवीएल के साथ एक आईबीए के संबंध या तो मालिक-नौकर या नियोक्ता-कर्मचारी के हैं।
18. एक आईबीए, आईबीए-सदस्यता के निर्वाह के दौरान एसवीएल के व्यापार मंच के साथ या उसके बिना, समान (जैसे एसवीएल) व्यवसाय की प्रकृति वाली अन्य कंपनियों का व्यवसाय नहीं करेगा।
19. एक आईबीए ग्राहकों को शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ावा नहीं देगा, यदि एपीएलएल शिक्षा केंद्र उनके शहर/कस्बे में उपलब्ध नहीं है या संभावित विक्रेता / छात्र निवास क्षेत्र से 20 किलोमीटर के भीतर नहीं है।
20. यह एक आईबीए की जिम्मेदारी है कि वह एसवीएल की गतिविधियों की गोपनीयता और गोपनीयता बनाए रखे और एसवीएल की गोपनीयता नीति का पालन करे।
21. एक आईबीए आवेदन पत्र और एसवीएल के साथ किसी भी अन्य पत्राचार में कोई झूठी या नकली जानकारी और/या दस्तावेज प्रदान/प्रस्तुत नहीं करेगा।
22. एक आईबीए किसी ऐसे प्रशंसापत्र का उल्लेख नहीं करेगा जो अधिकृत/सत्य/प्रासंगिक नहीं है जो संभावित विक्रेता को गुमराह कर सकता है।
23. एक आईबीए बाजार में एसवीएल उत्पादों को बेचने या बढ़ावा देने के लिए आईबीए के रूप में अपना व्यवसाय करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम 2021 सहित सभी स्थानीय, राष्ट्रीय और राज्य कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करेगा। एसवीएल किसी व्यक्ति या आईबीए के कृत्यों और कार्यों के लिए किसी भी दायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं है।
24. एक आईबीए अपने द्वारा किए गए एसवीएल उत्पादों/सेवाओं की बिक्री पर या व्यापार प्रोत्साहन से प्राप्त आय पर सभी लागू करों का भुगतान करेगा।
25. क्षेत्राधिकार आईबीए और एसवीएल के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के मामले में; वही एक एकल मध्यस्थ को न्यायनिर्णयन के लिए संदर्भित किया जाएगा, जिसे एसवीएल द्वारा पूरी तरह से मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार नियुक्त किया गया है। मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और मध्यस्थता के सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। भारत या विदेश में किसी भी अन्य न्यायालयों द्वारा समवर्ती या समान क्षेत्राधिकार होने के बावजूद सभी विवाद नई दिल्ली में स्थित सक्षम न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं।
आईबीए को ये 7 बातें जरूर जाननी चाहिए

1. एसवीएल का आईबीए बनना निःशुल्क है और आप एसवीएल उत्पादों को खरीदने के लिए भुगतान कर रहे हैं और यह एक निवेश कंपनी नहीं है।

2. एक आईबीए, संभावित विक्रेता या ग्राहक को डिमांड ड्राफ्ट, जीपे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से और किसी अन्य उपलब्ध मोड के माध्यम से भुगतान करना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट के मामले में कृपया डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम और आईबीए आईडी का उल्लेख करें और उसकी एक प्रति अपने पास रखें।

3. एपीएलएल शैक्षिक कार्यक्रम केवल निश्चित पूर्वनिर्धारित केंद्रों पर ही उपलब्ध होंगे।

4. यदि एपीएलएल केंद्र छात्रों के निवास स्थान के पास उपलब्ध नहीं है या उनके निवास स्थान से 20 किमी के भीतर नहीं है, तो आपको छात्रों को एपीएलएल शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रचार नहीं करना चाहिए।

5. आपको किसी भी एपीएलएल शैक्षिक कार्यक्रम के पूरा होने के बाद नौकरी की गारंटी नहीं देनी चाहिए और छात्रों को यह शिक्षित करना चाहिए कि कार्यक्रमों के बाद रोजगार पूरी तरह से उनके व्यक्तिगत प्रयासों पर निर्भर करता है।

6. व्यवसाय करना केवल वैकल्पिक है और अनिवार्य नहीं है।

किसी भी गारंटी या सकल आय के अनुमानों पर विश्वास न करें, क्योंकि प्रत्येक आईबीए की कमाई पूरी तरह से उत्पादों को बेचने के उसके व्यक्तिगत प्रयासों पर निर्भर करती है, जो हर व्यक्ति में भिन्न होती है।

7. एसवीएल आईबीए-सदस्यता कोई नौकरी/जल्दी अमीर बनना योजना नहीं है और यह किसी निश्चित मासिक वेतन/आय की गारंटी नहीं देती है।



पंजीकृत कार्यालय

स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड, एम-17, द्वितीय तल, लाजपत नगर - II

नई दिल्ली - 110 024

आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर

स्मार्ट वैल्यू

टोल-फ्री नंबर: 1800-200-1122

ई-मेल: support@svpsl.in

अधिक जानकारी के लिए www.smartvalue.biz पर लॉग ऑन करें

एमआरपी: ₹49/-

VEN00128 -MAR2022